



राजस्थान शासन

आय-व्ययक एक दृष्टि में
Budget At A Glance

2012-13

आय—व्ययक एक दृष्टि में
Budget At A Glance

2012-13

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर
DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS, RAJASTHAN, JAIPUR

आय-व्ययक एक दृष्टि में 2012-13

BUDGET AT A GLANCE

(₹ crore/ करोड़)

| मद | लेखे | आय -व्ययक अनुमान | संशोधित अनुमान | आय -व्ययक अनुमान |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Items | A/Cs 2010-11 | B.E. 2011-12 | R.E. 2011-12 | B.E. 2012-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | 45928.20 | 52287.36 | 56121.13 | 63146.83 |
| Revenue Receipts | | | | |
| (अ) राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue | 20758.13 | 21349.45 | 24226.86 | 26832.32 |
| (ब) अ-कर राजस्व Non-Tax Revenue | 6294.12 | 6438.13 | 8658.25 | 8951.13 |
| (स) केन्द्रीय करों के अंश Share in central Taxes | 12855.62 | 15443.61 | 14977.04 | 17706.85 |
| (द) सहायतार्थ अनुदान Grants -in-aid | 6020.33 | 9056.17 | 8258.98 | 9656.53 |
| 2. पूंजीगत प्राप्तियां | 8322.10 | 11810.61 | 12471.35 | 13925.02 |
| Capital Receipts | | | | |
| (अ) ऋणों की वसूली Recovery of Loans | 318.41 | 167.79 | 1217.50 | 151.18 |
| (ब) अन्य प्राप्तियां Misc.Receipts | 13.42 | 5.85 | 13.56 | 8.00 |
| (स) उधार एवं अन्य देनदारियां Borrowings & other Liabilities (इसमें से पुनर्भुगतान) (of which repayments) | 7990.27 | 11636.97 | 11240.29 | 13765.84 |
| (द) आकस्मिकता निधि Contingency Fund | (3317.24) | (3474.36) | (3490.47) | (4718.62) |
| 2.1 शुद्ध उधार Net Borrowing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. कुल प्राप्तियां (1+2) Total Receipts | 54250.30 | 64097.97 | 68592.48 | 77071.85 |
| 4. आयोजना भिन्न व्यय Non-plan Expenditure | 39530.86 | 44712.61 | 45733.95 | 52846.74 |
| (अ) राजस्व खाते से (ब्याज की अदायगी) On revenue account (of which Interest Payment) | 36120.68 | 41223.79 | 42155.68 | 48100.02 |
| (ब) पूंजीगत खाते से On capital Account | (7369.00) | (8012.48) | (7890.46) | (8315.50) |
| | 3410.18 | 3488.82 | 3578.27 | 4746.72 |

आय-व्ययक एक दृष्टि में 2012-13

BUDGET AT A GLANCE

(₹ crore/ करोड़)


| मद | आय -व्ययक | संशोधित | आय -व्ययक | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | लेखे | अनुमान | अनुमान | |
| Items | A/Cs | B.E. | R.E. | |
| | 2010-11 | 2011-12 | 2011-12 | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| | 4 | 5 | | |
| 5. आयोजना व्यय | 12059.06 | 16587.10 | 20167.13 | 20986.83 |
| Plan Expenditure | | | | |
| (अ) राजस्व खाते से | 6938.75 | 8406.68 | 11320.73 | 11673.70 |
| On Revenue Account | | | | |
| (ब) पूंजीगत खाते से | 5120.31 | 8180.42 | 8846.40 | 9313.13 |
| On Capital Account | | | | |
| 6. केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय | 2113.40 | 2699.11 | 2629.00 | 2841.66 |
| C.S.S.Expenditure | | | | |
| (अ) राजस्व खाते से | 1813.91 | 2304.27 | 2201.48 | 2445.50 |
| On Revenue Account | | | | |
| (ब) पूंजीगत खाते से | 299.49 | 394.84 | 427.52 | 396.16 |
| On Capital Account | | | | |
| 7. कुल व्यय (4+5+6) | 53703.32 | 63998.82 | 68530.08 | 76675.23 |
| Total Expenditure | | | | |
| (अ) राजस्व व्यय | 44873.34 | 51934.74 | 55677.89 | 62219.22 |
| Revenue Expenditure | | | | |
| (ब) पूंजीगत व्यय | 8829.98 | 12064.08 | 12852.19 | 14456.01 |
| Capital Expenditure | | | | |
| (स) आकस्मिकता निधि का विनियोग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Appropriation to Contingency Fund | | | | |
| 8. राजस्व घाटा / आधिक्य (1-7अ) | 1054.86 | 352.62 | 443.24 | 927.61 |
| Revenue Deficit/Surplus | | | | |
| (जिसमें से गैर आयोजना | | | | |
| राजस्व घाटा / आधिक्य) | (5494.39) | (5370.41) | (8494.98) | (8981.43) |
| (of which Non-plan | | | | |
| Revenue Deficit/Surplus) | | | | |
| 9. बजट घाटा /आधिक्य (3-7) | 546.98 | 99.15 | 62.40 | 396.62 |
| Budgetary Deficit / Surplus | | | | |
| 10. राजकोषीय घाटा | -4126.05 | -8063.46 | -7687.42 | -8650.60 |
| Fiscal Deficit | | | | |
| 11. प्रारम्भिक घाटा/आधिक्य | 3242.95 | -50.98 | 203.04 | -335.10 |
| Primary Deficit / Surplus | | | | |

आय व्ययक एक दृष्टि में


BUDGET AT A GLANCE

₹ करोड़/CRORE


प्राप्तियाँ RECEIPTS



व्यय EXPENDITURE




घाटा/आधिक्य DEFICIT/SURPLUS




रुपया आता है

RUPEE COMES FROM



रुपया जाता है

RUPEE GOES TO



प्राप्तियां
RECEIPTS

(₹ crore/ करोड़)

| मद | आय –व्ययक | संशोधित | आय –व्ययक | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| लेखे | अनुमान | अनुमान | अनुमान | |
| Items | A/Cs | R.E. | B.E. | |
| | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | | | | |
| 1. राज्य के कर राजस्व | 20758.13 | 21349.45 | 24226.86 | 26832.32 |
| State's Tax Revenue | | | | |
| (i) भू – राजस्व | 222.17 | 196.06 | 196.06 | 196.06 |
| Land Revenue | | | | |
| (ii) मुद्रांक एवं पंजीयन | 1941.05 | 1900.00 | 2500.00 | 2800.00 |
| Stamps & Registration | | | | |
| (iii) राज्य आबकारी | 2861.41 | 2623.00 | 2950.00 | 3250.00 |
| State Excise | | | | |
| (iv) बिक्री कर | 12629.59 | 13490.00 | 15000.00 | 16550.00 |
| Sales Tax | | | | |
| (v) वाहनों पर कर | 1612.25 | 1650.00 | 1725.00 | 1900.00 |
| Tax on Vehicle | | | | |
| (vi) बिजली शुल्क | 905.81 | 846.64 | 1244.70 | 1505.26 |
| Electricity Duty | | | | |
| (vii) अन्य कर एवं शुल्क | 585.85 | 643.75 | 611.10 | 631.00 |
| Other Taxes & Duties | | | | |
| 2. केन्द्रीय करों का अंश | 12855.62 | 15443.61 | 14977.04 | 17706.85 |
| Share in Central Taxes | | | | |
| (i) आयकर | 2655.35 | 3068.93 | 2994.48 | 3500.29 |
| Income Tax | | | | |
| (ii) निगम कर | 5024.86 | 6239.54 | 5895.12 | 6469.65 |
| Corporation Tax | | | | |
| (iii) संघ उत्पादन शुल्क | 1635.33 | 1994.19 | 1680.36 | 2204.67 |
| Union Excise Duty | | | | |
| (iv) सीमा शुल्क | 2247.98 | 2614.68 | 2596.79 | 3219.55 |
| Custom Duty | | | | |
| (v) सेवा कर | 1281.81 | 1514.53 | 1787.52 | 2289.54 |
| Service Tax | | | | |
| (vi) अन्य कर | 10.29 | 11.74 | 22.77 | 23.15 |
| Other Taxes | | | | |

प्राप्तियां

RECEIPTS

| (₹ crore/ करोड़) | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | आय –व्ययक | संशोधित | आय –व्ययक |
| मद | लेखे | अनुमान | अनुमान | अनुमान |
| Items | A/Cs | B.E. | R.E. | B.E. |
| | 2010-11 | 2011-12 | 2011-12 | 2012-13 |
| | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 3. कर भिन्न राजस्व | 6294.12 | 6438.13 | 8658.25 | 8951.13 |
| Non Tax Revenue | | | | |
| (i) ब्याज प्राप्तियां | 1276.70 | 1229.22 | 1635.75 | 1428.79 |
| Interest Receipts | | | | |
| (ii) लाभांश एवं लाभ | 20.76 | 38.38 | 56.61 | 56.66 |
| Dividends & Profits | | | | |
| (iii) अन्य कर भिन्न राजस्व | 4996.66 | 5170.53 | 6965.89 | 7465.68 |
| Other Non-Tax Revenue | | | | |
| 3.1 सहायतार्थ अनुदान | 6020.33 | 9056.17 | 8258.98 | 9656.53 |
| Grants-in-aid | | | | |
| 3.2 कर भिन्न राजस्व एवं सहायतार्थ अनुदान | 12314.45 | 15494.30 | 16917.23 | 18607.66 |
| Non Tax Revenue and Grants in Aid | | | | |
| 3.3 कुल राजस्व प्राप्तिया (1+2+3.2) | 45928.20 | 52287.36 | 56121.13 | 63146.83 |
| Total Revenue Receipts | | | | |

प्राप्तियां

RECEIPTS

| | | (₹ crore/ करोड़) | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| मद | लेखे | आय –व्ययक अनुमान | संशोधित अनुमान | आय –व्ययक अनुमान | |
| Items | A/Cs 2010-11 | B.E. 2011-12 | R.E. 2011-12 | B.E. 2012-13 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | 5 | | | |
| 4. | पूंजीगत प्राप्तियां | 8322.10 | 11810.61 | 12471.35 | 13925.02 |
| | Capital Receipts | | | | |
| | (i) प्रत्यादत्त उधार एवं अग्रिम Recoveries of Loans & Advances | 318.41 | 167.79 | 1217.50 | 151.18 |
| | (ii) आन्तरिक ऋण Internal Debt | 7617.62 | 9379.36 | 5548.34 | 11228.67 |
| | (iii) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण Loans from Central Government | 359.73 | 819.53 | 638.59 | 1261.21 |
| | (iv) आकस्मिकता निधि Contingency Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (v) शुद्ध सार्वजनिक लेखा Net Public Accounts | 12.92 | 1438.08 | 5053.36 | 1275.96 |
| | (vi) अन्य पूंजीगत प्राप्तियां Other Capital Receipts | 13.42 | 5.85 | 13.56 | 8.00 |
| 5. | कुल प्राप्तियां (3.3+4) | 54250.30 | 64097.97 | 68592.48 | 77071.85 |
| | Total Receipts | | | | |

प्राप्तियाँ

RECEIPTS

■ राज्य कर राजस्व
STATE'S TAX REVENUE


■ कर-भिन्न राजस्व
NON-TAX REVENUE

■ पूँजीगत प्राप्तियाँ
CAPITAL RECEIPTS

■ केन्द्रीय करों का अंश
SHARE IN CENTRAL TAXES

■ सहायतार्थ अनुदान
GRANTS-IN-AID

₹ करोड़
₹ CRORE



EXPENDITURE

(₹ crore/ करोड़)

| मद | लेखे | आय –व्ययक अनुमान | संशोधित अनुमान | आय –व्ययक अनुमान |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Items | A/Cs 2010-11 | B.E. 2011-12 | R.E. 2011-12 | B.E. 2012-13 |
| | 1 | 3 | 4 | 5 |
| I. राजस्व व्यय | | | | |
| REVENUE EXPENDITURE | | | | |
| (क) आयोजना भिन्न व्यय | 36120.68 | 41223.79 | 42155.68 | 48100.02 |
| NON-PLAN-EXPENDITURE | | | | |
| 1. सामान्य सेवाएं General Services | 16562.49 | 18574.17 | 18595.43 | 19952.21 |
| 2. सामाजिक सेवाएं Social Services | 13966.39 | 15983.20 | 16537.18 | 18679.39 |
| 3. आर्थिक सेवाएं Economic Services | 5570.79 | 6666.27 | 6994.48 | 9462.47 |
| 4. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contribution | 21.01 | 0.15 | 28.59 | 5.95 |
| (ख) आयोजना व्यय | 6938.75 | 8406.68 | 11320.73 | 11673.70 |
| PLAN EXPENDITURE | | | | |
| 1. सामान्य सेवाएं General Services | 142.94 | 219.51 | 406.66 | 175.14 |
| 2. सामाजिक सेवाएं Social Services | 2908.61 | 3447.87 | 5239.45 | 5441.90 |
| 3. आर्थिक सेवाएं Economic Services | 3887.20 | 4475.69 | 5407.92 | 5763.29 |
| 4. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contribution | 0.00 | 263.61 | 266.70 | 293.37 |
| (ग) केन्द्र प्रवर्तित योजना | 1813.91 | 2304.27 | 2201.48 | 2445.50 |
| CENTRALLY SPONSORED SCHEME | | | | |
| 1. सामान्य सेवाएं General Services | 32.07 | 61.56 | 72.83 | 65.68 |
| 2. सामाजिक सेवाएं Social Services | 1020.23 | 1345.87 | 1391.05 | 1547.90 |
| 3. आर्थिक सेवाएं Economic Services | 761.61 | 896.84 | 737.60 | 831.92 |
| (घ) कुल राजस्व व्यय (I) | 44873.34 | 51934.74 | 55677.89 | 62219.22 |
| (क+ख+ग) | | | | |
| TOTAL REVENUE EXPENDITURE | | | | |

EXPENDITURE

(₹ crore/ करोड़)

| मद Items | लेखे A/Cs 2010-11 | आय –व्ययक अनुमान B.E. 2011-12 | संशोधित अनुमान R.E. 2011-12 | आय –व्ययक अनुमान B.E. 2012-13 |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. पूंजीगत व्यय | | | | |
| CAPITAL EXPENDITURE | | | | |
| (क) आयोजना भिन्न व्यय | 20.06 | 14.26 | 29.75 | 27.85 |
| NON-PLAN-EXPENDITURE | | | | |
| 1. सामान्य सेवाएं General Services | 6.06 | 0.25 | 16.66 | 13.61 |
| 2. सामाजिक सेवाएं Social Services | 14.00 | 14.00 | 13.07 | 12.35 |
| आर्थिक सेवाएं 3. Economic Services | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 1.89 |
| (ख) आयोजना व्यय | 4954.05 | 8172.88 | 7835.84 | 9301.63 |
| PLAN EXPENDITURE | | | | |
| 1. सामान्य सेवाएं General Services | 135.46 | 195.34 | 266.83 | 362.59 |
| 2. सामाजिक सेवाएं Social Services | 1744.31 | 2934.09 | 2520.54 | 3072.53 |
| 3. आर्थिक सेवाएं Economic Services | 3074.28 | 5043.45 | 5048.47 | 5866.51 |
| (ग) केन्द्र प्रवर्तित योजना | 276.51 | 363.00 | 402.86 | 359.71 |
| CENTRALLY SPONSORED SCHEME | | | | |
| 1. सामान्य सेवाएं General Services | 13.27 | 9.47 | 8.63 | 3.70 |
| 2. सामाजिक सेवाएं Social Services | 77.29 | 117.12 | 168.27 | 103.71 |
| 3. आर्थिक सेवाएं Economic Services | 185.95 | 236.41 | 225.96 | 252.30 |
| (घ) कुल पूंजीगत व्यय(II) (क+ख+ग) | 5250.62 | 8550.14 | 8268.45 | 9689.19 |
| TOTAL CAPITAL EXPENDITURE(II) | | | | |

EXPENDITURE


| (₹ crore/ करोड़) | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| मद Items | लेखे A/Cs 2010-11 | आय –व्ययक | संशोधित | आय –व्ययक |
| | | अनुमान B.E. 2011-12 | अनुमान R.E. 2011-12 | अनुमान B.E. 2012-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| पूंजीगत व्यय | | | | |
| CAPITAL EXPENDITURE | | | | |
| III. लोक ऋण (आयोजना भिन्न) | 3317.24 | 3474.36 | 3490.47 | 4718.62 |
| PUBLIC DEBT (NON-PLAN) | | | | |
| IV. ऋण एवं अग्रिम | 262.12 | 39.58 | 1093.27 | 48.20 |
| LOAN AND ADVANCES | | | | |
| 1. आयोजना भिन्न | 72.88 | 0.20 | 58.05 | 0.25 |
| Non-Plan | | | | |
| 2. आयोजना | 166.26 | 7.54 | 1010.56 | 11.50 |
| Plan | | | | |
| 3. केन्द्र प्रवर्तित योजना | 22.98 | 31.84 | 24.66 | 36.45 |
| C.S.S. | | | | |
| v. आकस्मिकता निधि का विनियोग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Appropriation to Contingency Fund | | | | |
| वृहत पूंजीगत व्यय | 8829.98 | 12064.08 | 12852.19 | 14456.01 |
| GRAND TOTAL CAPITAL EXPENDITURE | | | | |

व्यय

EXPENDITURE

- ऋण एवं अग्रिम
LOANS AND ADVANCES
- लोक ऋण(आयोजना भिन्न)
PUBLIC DEBT (NON-PLAN)
- कुल पूँजीगत व्यय
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE
- कुल राजस्व व्यय
TOTAL REVENUE EXPENDITURE

₹ करोड़
₹ CRORE



मुख्य विशेषताएं

योजना उद्ब्यय

2012-13

योजना उद्व्यय 2012-13 के मुख्य बिन्दु

योजना उद्व्यय :

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आय-व्ययक अनुमान 2012-13 में योजना उद्व्यय ₹ 33141.35 करोड़ प्रस्तावित हैं। इसमें सकल बजटीय समर्थन के रूप में ₹ 20986.82 करोड़ तथा आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में ₹ 12154.53 करोड़ शामिल है। योजना उद्व्ययों का मुख्य शीर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि ₹ करोड़ में)

| विकास के शीर्ष/सेक्टर | प्रस्तावित परिव्यय | कुल से प्रतिशत |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं | 2001.93 | 6.04 |
| 2. ग्रामीण विकास | 3269.85 | 9.87 |
| 3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 176.20 | 0.53 |
| 4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1177.33 | 3.55 |
| 5. विद्युत | 12726.05 | 38.40 |
| 6. उद्योग एवं खनिज | 231.14 | 0.70 |
| 7. यातायात | 2287.43 | 6.90 |
| 8. वैज्ञानिक सेवाएं | 46.57 | 0.14 |
| 9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं | 10324.73 | 31.15 |
| 10. आर्थिक सेवाएं | 558.22 | 1.69 |
| 11. सामान्य सेवाएं | 341.90 | 1.03 |
| योग | 33141.35 | 100.00 |

नोट:- यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि ₹ 33141.35 करोड़ की प्रस्तावित योजना को बढ़ाते हुए योजना आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु योजना का आकार ₹ 33500.00 करोड़ का अनुमोदित किया है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 358.65 करोड़ की अतिरिक्त राशि विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित की जा सकेगी।

क्षेत्रवार मुख्य-मुख्य विशेषताएं:

1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं:

- ₹ 84.80 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के शामिल
 - ◆ कृषि विपणन बोर्ड के ₹ 80.00 करोड़ ।
 - ◆ राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के ₹ 4.80 करोड़ ।
- कृषि विभाग के लिए ₹ 1144.00 करोड़ का प्रावधान जिसमें मौसम आधारित फसल बीमा योजना की राशि शामिल ।

- तिलहन, दालें, ऑयल पॉम एवं मक्का (आईसोपॉम) की एकीकृत योजना हेतु राज्यांश के रूप में ₹ 19.00 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 746.00 करोड़ का प्रावधान।
- अन्तर्राज्यीय राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना (ईएपी) हेतु ₹ 45.00 करोड़ का प्रावधान।
- एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के लिये ₹ 40.00 करोड़।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु ₹ 10.50 करोड़ एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु ₹ 29.00 करोड़ का राज्यांश के रूप में प्रावधान।
- सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई स्थापित के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु ₹ 73.86 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ खाद्यान्न अन्तर्गत क्षेत्रफल – 138.61 लाख हैक्टेयर
 - ◆ खाद्य फसलों का उत्पादन – 185.60 लाख टन
 - ◆ तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल – 47.77 लाख हैक्टेयर
 - ◆ तिलहन का उत्पादन – 54.34 लाख टन
 - ◆ गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल – 0.06 लाख हैक्टेयर
 - ◆ गन्ना उत्पादन – 3.60 लाख टन
 - ◆ कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल – 4.50 लाख हैक्टेयर
 - ◆ कपास उत्पादन – 11.12 लाख गांठें
 - ◆ खाद का उपभोग – 13.89 लाख टन
 - ◆ फल पौधारोपण – 200 हैक्टेयर
 - ◆ कृत्रिम गर्भाधान – 24 लाख
 - ◆ बंध्याकरण – 5 लाख
 - ◆ मत्स्य बीज उत्पादन – 430 मिलियन संख्या
 - ◆ मत्स्य उत्पादन – 32000 मेट्रिक टन
 - ◆ सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्प, मध्यम एवं दीर्घ कालीन ऋणों का वितरण – 7621 करोड़ रुपये (स्तर)
 - ◆ भण्डारण क्षमता – 16200 मेट्रिक टन

2. ग्रामीण विकास:

- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में ₹ 747.29 करोड़ का प्रावधान जिसमें निम्न शामिल हैं:-
 - ◆ एस.जी.एस.वाई. (ग्रामीण हाट को शामिल करते हुए) के लिए ₹ 0.90 करोड़।
 - ◆ मरू विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 15.00 करोड़।
 - ◆ सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के लिए ₹ 2.00 करोड़।
 - ◆ बंजर भूमि विकास के लिए ₹ 0.05 करोड़।
 - ◆ मिड-डे-मील के लिए ₹ 150.00 करोड़।
 - ◆ इन्दिरा आवास योजना के लिए ₹ 121.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए ₹ 350 करोड़।
 - ◆ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के लिए ₹ 10.99 करोड़।
 - ◆ राजस्व प्रशासन के सशक्तीकरण हेतु ₹ 27.50 करोड़।
 - ◆ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए ₹ 20.00 करोड़।
 - ◆ सेटलमेंट के लिए ₹ 49.85 करोड़ आदि।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹ 200.00 करोड़ का प्रावधान।
- डांग क्षेत्र विकास हेतु ₹ 20.00 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु ₹ 460.90 करोड़ का प्रावधान।
- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु ₹ 302.43 करोड़ का प्रावधान।
- बाह्य सहायतिथ "पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने हेतु परियोजना" के लिए ₹ 29.62 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना के लिए ₹ 35.00 करोड़ का प्रावधान।
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्बन्धन कोष के लिये ₹ 1071.35 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत 120668 नये आवासों का निर्माण
 - ◆ मिड-डे-मील – 58.00 लाख छात्र/छात्राएं
 - ◆ 30 हजार लोगों को भूखण्डों का आवंटन।

- ◆ एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत 29630 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जायेगा
- ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 25000 स्वयं सहायता समूह का गठन

3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम:

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 131.20 करोड़ का प्रावधान ।
- मगरा विकास हेतु ₹ 20.00 करोड़ एवं मेवात क्षेत्र विकास के लिए ₹ 25.00 करोड़ का प्रावधान ।

4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:

- बाह्य सहायतिथ परियोजनाओं हेतु ₹ 446.99 करोड़ का प्रावधान ।
 - ◆ राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए ₹ 141.00 करोड़ ।
 - ◆ लघु सिंचाई सुधार योजना के लिए ₹ 182.34 करोड़ ।
 - ◆ राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम के लिए ₹ 123.65 करोड़ ।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु ₹ 295.00 करोड़ का प्रावधान ।
 - ◆ नर्बदा परियोजना के लिए ₹ 225.00 करोड़ ।
 - ◆ गंग नहर के आधुनिकीकरण के लिए ₹ 40.00 करोड़ एवं
 - ◆ मरू/जनजाति क्षेत्रों में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹ 30.00 करोड़ ।
- 28,750 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना ।
 - ◆ 2000 हैक्टेयर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा
 - ◆ 10900 हैक्टेयर में नर्बदा के द्वारा
 - ◆ 1800 हैक्टेयर में गंग केनाल के द्वारा
 - ◆ 3000 हैक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा
 - ◆ 13050 हैक्टेयर में मध्यम सिंचाई योजनाओं के द्वारा
- 54700 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य
 - ◆ 9000 हैक्टेयर चम्बल सिंचित क्षेत्र में ।
 - ◆ 4,000 हैक्टेयर सिद्धमुख-नोहर क्षेत्र में ।

- ◆ 2,500 हैक्टेयर अमरसिंह उप शाखा क्षेत्र में ।
- ◆ 14,000 हैक्टेयर बीसलपुर क्षेत्र में ।
- ◆ 25,200 हैक्टेयर गंग केनाल सीएडी क्षेत्र में।

5. विद्युत:

- ₹ 9780.00 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के सम्मिलित ।
 - ◆ ₹ 5950.00 करोड़ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ।
 - ◆ ₹ 2240.00 करोड़ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के ।
 - ◆ ₹ 688.00 करोड़ जयपुर डिस्कॉम के ।
 - ◆ ₹ 479.00 करोड़ जोधपुर डिस्कॉम के ।
 - ◆ ₹ 423.00 करोड़ अजमेर डिस्कॉम के ।
- एफ.आर.पी. के अन्तर्गत संक्रमण सहायता के रूप में ₹ 400.00 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य सरकार द्वारा ₹ 2543 करोड़ का इक्विटी अंशदान।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि० के लिये ₹ 3.05 करोड़ का प्रावधान।
- 221 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 23000 कुओं का ऊर्जाकरण ।
- एसपीवी घरेलू लाइटिंग सिस्टम की स्थापना – 6970

6. उद्योग एवं खनन:

- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के ₹ 131 करोड़ के आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन शामिल ।
- उद्योग विभाग (सिपेट सहित) हेतु ₹ 24.08 करोड़ का प्रावधान।
- खादी एवं ग्रामोद्योग हेतु ₹ 10.36 करोड़ का प्रावधान ।
- बुनकर संघ हेतु ₹ 2.50 करोड़ का प्रावधान ।
- राजस्थान हेण्डलूम विकास निगम हेतु ₹ 3.19 करोड़ का प्रावधान ।
- निवेश संवर्धन ब्यूरो हेतु ₹ 4.36 करोड़ का प्रावधान ।
- दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर हेतु ₹ 40.00 करोड़ का प्रावधान ।
- खान एवं भू-गर्भ विभाग हेतु ₹ 11.89 करोड़ का प्रावधान ।
- ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण हेतु ₹ 2.75 करोड़ का प्रावधान ।

➤ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:—

- ◆ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभान्वित व्यक्ति – 1088
- ◆ खनन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण – 8.00 किमी.

7. परिवहन:

- ₹ 485.60 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल
 - ◆ ₹ 85.60 करोड़ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ।
 - ◆ ₹ 400.00 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के ।
- आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड सहायतिथ सड़क कार्यों के लिए ₹ 633.60 करोड़ का प्रावधान ।
 - ◆ 550 कि.मी. धार्मिक स्थानों में सड़कों का निर्माण एवं 1500 कि.मी. सड़कों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण ।
- केन्द्रीय सड़क निधि के तहत ₹ 229.41 करोड़ का अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रावधान ।
 - ◆ 382 किमी. राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण एवं 2000 कि.मी. अन्य राज्य राजमार्ग/जिला सड़कें ।
- बाह्य सहायतिथ योजनान्तर्गत ₹ 270.00 करोड़ का प्रावधान ।
 - ◆ 1000 किमी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण ।
- राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के उच्चीकरण व सुदृढीकरण के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ₹ 37.50 करोड़ का प्रावधान ।
- राज्य सड़क विकास निधि अन्तर्गत ₹ 220.00 करोड़ का प्रावधान ।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 500 नई बसों की खरीद ।

8. वैज्ञानिक सेवाएं:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये ₹ 14.71 करोड़ एवं पर्यावरण विभाग के लिये 31.85 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 - ◆ इसमें ₹ 12.77 करोड़ राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित
 - ◆ इसमें ₹ 10.00 करोड़ राष्ट्रीय नहरों की संरक्षण योजना के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित ।
 - ◆ इसमें ₹ 1.00 करोड़ सी.ई.टी.पी. के सम्मिलित

9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं:

शिक्षा

- शिक्षा क्षेत्र के लिये कुल ₹ 2474.67 करोड़ का प्रावधान ।
- प्राथमिक शिक्षा के लिये ₹ 1619.42 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ इसमें ₹ 1128.06 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित ।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये ₹ 660.86 करोड़ का प्रावधान (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए ₹ 150.00 करोड़ राज्यांश को सम्मिलित करते हुए) ।
- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिये ₹ 44.40 करोड़ का प्रावधान ।
- साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के लिये ₹ 10.17 करोड़ का प्रावधान ।
- कला एवं संस्कृति के लिये ₹ 43.83 करोड़ का प्रावधान ।
- तकनीकी शिक्षा के लिये ₹ 54.55 करोड़ का प्रावधान ।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिये ₹ 38.80 करोड़ का प्रावधान ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर (आयुर्वेद सहित) के लिये ₹ 1008.24 करोड़ का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के लिए ₹ 168.50 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 18.50 करोड़ मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना एवं ₹ 30 करोड़ धन्वन्तरी एम्बुलेन्स सेवा योजना के लिए शामिल है ।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹ 571.06 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 350.09 करोड़ निःशुल्क दवा वितरण के सम्मिलित ।
- चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹ 205.37 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 200 लाख राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हेतु शामिल ।
- आयुर्वेद हेतु ₹ 40.66 करोड़ का प्रावधान ।
 - ◆ 10 आयुर्वेदिक औषधालय का खोलना ।
 - ◆ 5 "बी" श्रेणी औषधालयों को "अ" श्रेणी में क्रमोन्नत ।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

- जल प्रदाय योजनाओं हेतु ₹ 1395.50 करोड़ का प्रावधान ।
 - ◆ शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹ 626.50 करोड़ ।

- ◆ ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹ 767.98 करोड़ ।
- ◆ अधीनस्थ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान के लिए ₹ 1.03 करोड़ ।
- उक्त प्रावधान में बाह्य सहायतिथ परियोजनाओं के लिए ₹ 241.12 करोड़ का प्रावधान भी शामिल
 - ◆ बीसलपुर–जयपुर जल प्रदाय योजना के लिए ₹ 20.12 करोड़ ।
 - ◆ शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर की पुर्नसंरचना के लिए ₹ 110.00 करोड़ ।
 - ◆ आपणी योजना द्वितीय–चरण के लिए ₹ 46.00 करोड़ ।
 - ◆ चम्बल–भीलवाड़ा जल प्रदाय परियोजना के लिए ₹ 40.00 करोड़ ।
 - ◆ नागौर लिफ्ट जल प्रदाय परियोजना फेज–II के लिए ₹ 25.00 करोड़ ।
- 6000 स्लिपड बैक एनसी/पीसी बस्तियों को समाविष्ट करने का लक्ष्य ।

आवास एवं नगरीय विकास

- आवास एवं नगरीय विकास के लिये ₹ 3489.79 करोड़ का प्रावधान
- इसमें ₹ 1673.13 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल
 - ◆ राजस्थान आवासन मण्डल के ₹ 300.00 करोड़ ।
 - ◆ जयपुर विकास प्राधिकरण के ₹ 360.00 करोड़ ।
 - ◆ अन्य शहरी स्थानीय निकायों के ₹ 1013.13 करोड़ ।
- बाह्य सहायतिथ राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम हेतु ₹ 271.99 करोड़ का प्रावधान ।
- पुलिस आवास के लिए हुडको को किश्त का भुगतान करने के लिए ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान ।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए ₹ 168.86 करोड़ का प्रावधान ।
- समग्र आवास एवं कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 69.96 करोड़ का प्रावधान ।
- लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना हेतु ₹ 73.66 करोड़ का प्रावधान ।
- जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के लिए ₹ 400.00 करोड़ का प्रावधान ।
- राजस्थान शहरी विकास निधि में अंशदान के लिए ₹ 45 करोड़ का प्रावधान ।

- राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹ 150.70 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- रेलवे ओवर ब्रिज के लिए ₹ 55.00 करोड़ का प्रावधान ।
- शहरी जनसहभागिता योजना के लिए ₹ 10.00 करोड़ का प्रावधान ।
- स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना के लिए राज्यांश के रूप में ₹ 7.89 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ शहरी स्वरोजगार अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के 10000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य ।
 - ◆ शहरी स्वरोजगार अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के 15000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण ।
 - ◆ 2.00 लाख मानव दिवसों का सृजन ।
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शहरी क्षेत्रों में 7000 आवासों का निर्माण ।

पिछड़ी जातियों का कल्याण तथा समाज कल्याण

- अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण तथा समाज कल्याण के लिये ₹ 814.36 करोड़ का प्रावधान ।
- इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 204.66 करोड़ का प्रावधान शामिल
 - ◆ 567000 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य ।
- विभिन्न छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए ₹ 14.50 करोड़ का प्रावधान ।
- 80 सम्बल गाँवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ₹ 8.00 करोड़ का प्रावधान ।
- अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु ₹ 2.30 करोड़ का प्रावधान ।
- अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को मैचिंग सहायता के लिए ₹ 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- पालनहार योजनान्तर्गत निराश्रित बच्चों एवं विधवा पेंशनधारियों के 2 बच्चों को नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा संरक्षण/देखरेख प्रदान करवाने हेतु ₹ 46.45 करोड़ का प्रावधान ।
- अनुप्रति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए ₹ 3.00 करोड़ का प्रावधान ।

- सहयोग योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों के विवाह पर ₹ 10000/- वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ₹ 17.02 करोड़ का प्रावधान ।
- देवनारायण योजना के लिए ₹ 136.61 करोड़ का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए ₹ 171.78 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ 6.41 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना ।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत जनश्री बीमा योजना के लिए ₹ 23.40 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ 26.22 लाख बी.पी.एल. परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा ।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत ₹ 23.68 करोड़ का प्रावधान ।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना अन्तर्गत ₹ 4.19 करोड़ का प्रावधान ।
- विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा एवं कल्याण हेतु ₹ 40.54 करोड़ रुपये का प्रावधान
 - ◆ 1500 पोलियो करेक्शन शिविरों का आयोजन ।
 - ◆ 1500 व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक सहायता ।
 - ◆ 8000 व्यक्तियों को विकलांग छात्रवृत्ति ।
 - ◆ 300 निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता ।
- बाल कल्याण हेतु ₹ 24.26 करोड़ का प्रावधान ।
- महिलाओं के कल्याण हेतु ₹ 2.43 करोड़ का प्रावधान ।
- वृद्धावस्था गृहों की स्थापना हेतु ₹ 2.70 करोड़ का प्रावधान ।

निःशक्तजन निदेशालय

- निःशक्तजन निदेशालय की स्थापना के लिए ₹ 1.31 करोड़ का प्रावधान ।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास

- विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 71.37 करोड़ का प्रावधान ।
- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 99.73 करोड़ का प्रावधान ।
- जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये "जनजाति कल्याण निधी" अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के रूप में ₹ 154.22 करोड़ का प्रावधान ।

महिला एवं बाल विकास

- महिला विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 55.21 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ साथिनों को मानदेय का भुगतान ।
 - ◆ प्रबन्धकीय क्षमता विकास एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ।
 - ◆ सामुहिक विवाहों के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु ।
 - ◆ महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण चुकाने पर प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज दर में छूट हेतु सहायता ।
- पोषाहार हेतु ₹ 594.88 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ 56.00 लाख बच्चों व महिलाओं को पूरक पोषाहार द्वारा लाभान्वित करने हेतु ।
 - ◆ आशा सहयोगिनियों को मानदेय भुगतान हेतु ।
 - ◆ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय भुगतान हेतु ।
 - ◆ समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत प्रशासन एवं प्रशिक्षण के लिए ।
 - ◆ 1100 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए ।

अल्पसंख्यक विकास

- ₹ 10.95 करोड़ मदरसा मण्डल के सम्मिलित ।
- ₹ 25.57 करोड़ मदरसा स्कूल के सम्मिलित ।
- ₹ 6.55 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रावास के भवन के सम्मिलित ।
- ₹ 3.80 करोड़ अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के रोजगार योजना के सम्मिलित ।
- ₹ 2.00 करोड़ अल्पसंख्यक व्यक्तियों हेतु राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के सम्मिलित ।
- ₹ 1.75 करोड़ हज कमेटी को हज हाउस के निर्माण हेतु सम्मिलित ।

10. आर्थिक सेवाएं:

- पर्यटन विभाग के लिये ₹ 34.50 करोड़ का प्रावधान ।
- “राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना” हेतु ₹ 201.00 करोड़ का प्रावधान ।

- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए ₹ 98.38 करोड़ का प्रावधान जिसमें नेशनल ई-गवर्नेंस योजना हेतु एवं विशिष्ट पहचान हेतु प्रोत्साहन (UIDs) राशि भी शामिल।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु ₹ 143.50 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 7 करोड़ अन्नपूर्णा योजना हेतु एवं ₹ 0.50 करोड़ राशन टिकट योजना हेतु शामिल।
- नागरिक उड्यन के लिए ₹ 13.11 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य आयोजना बोर्ड के लिए ₹ 53.82 करोड़ का प्रावधान।
- कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु ₹ 5.80 करोड़ का प्रावधान।

11. सामान्य सेवाएं:

- विभिन्न राज्य एवं जिला-स्तरीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 188.32 करोड़ का प्रावधान
 - ◆ जेल भवनों के लिए 45.00 करोड़ रुपये।
 - ◆ पुलिस भवनों के लिए 75.00 करोड़ रुपये।
 - ◆ जोधपुर में उच्च न्यायालय के नये भवन एवं अन्य न्यायिक भवनों के लिए ₹ 40.74 करोड़।
 - ◆ सामान्य प्रशासन विभाग के भवनों के लिए ₹ 7.61 करोड़।
 - ◆ देवस्थान के लिए ₹ 5.60 करोड़।
 - ◆ आबकारी विभाग के लिए ₹ 5.00 करोड़।
 - ◆ नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड के लिए ₹ 2.20 करोड़।
 - ◆ कोष एवं लेखा के लिए ₹ 5.17 करोड़।
 - ◆ मुद्रांक एवं पंजीयन के लिए ₹ 2.00 करोड़।
- राजस्थान विनियोजन संवर्द्धन नीति-2003 के तहत अनुदान हेतु 100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 45 फास्ट ट्रेक न्यायालयों के वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए ₹ 12.32 करोड़ का प्रावधान।
- न्यायिक अकादमी के संचालन व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 3.00 करोड़ का प्रावधान।

HIGHLIGHTS

PLAN OUTLAY

2012-13

Highlights of Plan Outlay 2012-13

Plan Outlay:

₹ 33141.35 crores is proposed as Plan Outlay in the Budget Estimate 2012-13 presented in the Rajasthan Legislative Assembly. This includes Gross Budgetary Support of ₹ 20986.82 crores and Internal & Extra Budgetary Resources (IEBR) of ₹ 12154.53 crores. The major head-wise break-up of the plan outlays are as under:-

(₹ in crores)

| S. No. | Head of Development /Sectors | Proposed Outlay | % to Total |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Agriculture & Allied Services | 2001.93 | 6.04 |
| 2. | Rural Development | 3269.85 | 9.87 |
| 3. | Special Area Programme | 176.20 | 0.53 |
| 4. | Irrigation & Flood Control | 1177.33 | 3.55 |
| 5. | Power | 12726.05 | 38.40 |
| 6. | Industry & Minerals | 231.14 | 0.70 |
| 7. | Transport | 2287.43 | 6.90 |
| 8. | Scientific Services | 46.57 | 0.14 |
| 9. | Social & Community Services | 10324.73 | 31.15 |
| 10. | Economic Services | 558.22 | 1.69 |
| 11. | General Services | 341.90 | 1.03 |
| Total | | 33141.35 | 100.00 |

Note:- It is pertinent to mention here that Planning Commission has approved plan outlay of ₹ 33500.00 crore against the proposed plan outlay of ₹ 33141.35 crore for the financial year 2012-13. Thus, it would be possible to allocate the increased amount of ₹ 358.65 crore for various schemes during the course of financial year 2012-13.

Sector-wise Highlights:-

I. Agriculture & Allied Services

- Includes IEBR of ₹ 84.80 crores.
 - ₹ 80.00 crores of Agriculture Marketing Board
 - ₹ 4.80 crore of State Warehousing Corporation
- Provision of ₹ 1144.00 crores for Agriculture Department which includes funds for weather based Crop Insurance Scheme also.
- Provision of ₹ 19 crores for Integrated Scheme of Oilseed, Pulses, Oil Pam & Maize (ISOPOM) as State Share.
- Provision of ₹ 746.00 crores as ACA for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).

- Provision of ₹ 45.00 crores for Multi State Rajasthan Agriculture Competitive Project (EAP)
- ₹ 40.00 crores for Integrated Watershed Management Programme.
- Provision of ₹ 10.50 crores for National Horticulture Mission and ₹ 29 crores for Micro Irrigation Scheme as State Shares.
- ₹ 73.86 crore additional subsidy for drip installation under Micro Irrigation Scheme.
- Important physical targets:
 - Area under Food Crops – 138.61 lakh ha.
 - Production of Food Crops – 185.60 lakh tonnes
 - Area under Oilseeds – 47.77 lakh ha.
 - Production of Oilseeds – 54.34 lakh tonnes
 - Area under Sugarcane – 0.06 lakh ha.
 - Production of Sugarcane – 3.60 lakh tonnes
 - Area under Cotton – 4.50 lakh ha.
 - Production of Cotton – 11.12 lakh bales
 - Consumption of Fertilizer – 13.89 Lac Tonnes
 - Fruit Plantation – 200 ha.
 - Artificial Insemination – 24 lakhs
 - Castration – 5 lakhs
 - Fish Seed Production – 430 Million No.
 - Fish Production – 32000 Tonnes
 - Distribution of short, medium and long term loan through Cooperative Institutions – ₹ 7621 crores (level).
 - Storage Capacity – 16200 MTs

II. Rural Development

- Provision of ₹ 747.29 crores as State matching share for Centrally Sponsored Schemes which includes
 - ₹ 0.90 crores for SGSY including Rural Haat.
 - ₹ 15.00 crores for Desert Development Programme
 - ₹ 2.00 crores for Drought Prone Area Programme
 - ₹ 0.05 crores for Wasteland Development
 - ₹ 150.00 crores for Mid-day-meal

- ₹ 121.00 crores for Indira Awas Yojana (IAY)
- ₹ 350.00 crores for Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
- ₹ 10.99 crores for DRDA Administration
- ₹ 27.50 crores for strengthening of revenue administration
- ₹ 20.00 crores for Total Sanitation Campaign.
- ₹ 49.85 crores for Settlement etc.
- Provision of ₹ 200 crores for MLA Local Area Development Scheme.
- Provision of ₹ 20.00 crores for Dang Area Development Programme.
- Provision of ₹ 460.90 crores as Grants to PRIs under SFC.
- Provision of ₹ 302.43 crores as ACA for Backward Region Grant Fund.
- Provision of ₹ 29.62 crores for Externally Aided Project 'Mitigating Poverty in Western Rajasthan'.
- Provision of ₹ 35.00 crores for Gramin Jan Bhagidari vikas Yojana.
- Provision of ₹ 1071.35 crores as Untied Funds to Panchayati Raj Institutions.
- Important physical targets:
 - Construction of 120668 new houses under IAY
 - Mid-day-meal – 58.00 lakh students
 - Plots to be allotted to 30000 persons.
 - 29630 ha. area to be treated under Integrated Watershed Management Project.
 - 25000 Formation of Self Help Group under National Rural Livelihood Mission

III. Special Area Programme

- Provision of ₹ 131.20 crores as ACA for Border Area Development Programme.
- Provision of ₹ 20.00 crores for Magra Development and ₹ 25.00 crores for Mewat Area Development.

IV. Irrigation & Flood Control

- Provision of ₹ 446.99 crores for EAPs
 - ₹ 141.00 crores for Raj. Water Sector Restructuring Project.
 - ₹ 182.34 crores for Minor Irrigation Improvement Scheme.
 - ₹ 123.65 crores for State Partnership Irrigation Project.
- Provision of ₹ 295 crores for AIBP Projects.
 - ₹ 225 crores for Narbada,
 - ₹ 40 crores for Gang Canal Modernisation and
 - ₹ 30 crores for minor irrigation projects in Desert / Tribal Areas.
- Additional irrigation potential to be created – 28750 hectares.
 - 2000 ha. through IGNP
 - 10900 ha. through Narmada
 - 1800 ha. through Gang Canal
 - 3000 ha. through minor irrigation schemes
 - 13050 ha. through Medium Projects
- OFD works – 54700 ha.
 - 9000 ha. in Chambal Command area
 - 4000 ha. in Sidhmukh-Nohar area
 - 2500 ha. in Amarsingh Sub Branch area
 - 14000 ha. in Bisalpur area
 - 25200 ha. in Gang Canal - CAD

V. Power

- Includes IEBR of ₹ 9780 crores.
 - ₹ 5950 crores of Raj. Rajya Vidyut Utpadan Nigam
 - ₹ 2240 crores of Raj. Rajya Vidyut Prasaran Nigam
 - ₹ 688 crores of DISCOM, Jaipur
 - ₹ 479 crores of DISCOM, Jodhpur
 - ₹ 423 crores of DISCOM, Ajmer
- Provision of ₹ 400 crores as Transition Support for FRP
- ₹ 2543 crores as equity contribution by the State Government.
- Provision of ₹ 3.05 crore for Rajasthan Renewable Energy Cooperation Limited.

- Electrification of 221 villages and energisation of 23000 wells.
- Installation of SPV Domestic Lighting System (DLS) 6970 No.

VI. Industry and Minerals

- Includes IEBR of ₹ 131.00 crores of RSMM Ltd.
- Provision of ₹ 24.08 crores for Industries Department.
- Provision of ₹ 10.36 crores for Khadi & Village Industries.
- Provision of ₹ 2.50 crores for Bunkar Sangh.
- Provision of ₹ 3.19 crores for Rajasthan Handloom Development Corporation.
- Provision of ₹ 4.36 crores for Bureau of Investment Promotion.
- Provision of ₹ 40.00 crores for Delhi-Mumbai Industrial Corridor.
- Provision of ₹ 11.89 crores for Mines & Geology Deptt.
- Provision of ₹ 2.75 crores for RUDA.
- Important physical targets:
 - Persons to be benefitted under Prime Minister Rojgar Yojana – 1088.
 - Construction of roads in mineral areas – 8.00 km.

VII. Transport

- Includes IEBR of ₹ 485.60 crores.
 - ₹ 85.60 crores of RSRTC
 - ₹ 400.00 crores of RSRDC
- Provision of ₹ 633.60 crores for NABARD assisted road works under RIDF
 - Construction of 550 km. religious roads and strengthening, modernization and renovation of 1500 km. roads.
- Provision of ₹ 229.41 crores (ACA) under Central Road Fund (CRF)
 - Strengthening, modernisation and renovation of 382 km. State Highway & Major District Roads and 2000 km. of other State Highway / District Roads.
- Provision of ₹ 270.00 crores for EAP.
 - Construction of 1000 km. rural roads.

- Provision of ₹ 37.50 crores for Upgradation and Improvement of State Highways and District Roads under Thirteen Finance Commission.
- Provision of ₹ 220 crores under State Road Fund.
- Purchase of 500 new buses by RSRTC.

VIII. Scientific Services

- Provision of ₹ 14.71 crores for Science & Technology and ₹ 31.85 crores for Environment Department.
 - Includes ₹ 12.77 crores for National Lake Conservation Programme.
 - Includes ₹ 10.00 crores for National River Conservation Scheme.
 - Includes ₹ 1.00 crores for Common Effluent Treatment Plant.

IX. Social & Community Services:

Education

- Total provision of ₹ 2474.67 crores for Education Sector.
- Provision of ₹ 1619.42 crores for Elementary Education
 - Includes ₹ 1128.06 crores as State Matching Share for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).
- Provision of ₹ 660.86 crores for Secondary Education including ₹ 150.00 as State Matching Share for RMSA.
- Provision of ₹ 44.40 crores for University and other Higher Education.
- Provision of ₹ 10.17 crores for Literacy & Continuing Education.
- Provision of ₹ 43.83 crores for Arts & Culture
- Provision of ₹ 54.55 crores for Technical Education
- Provision of ₹ 38.80 crores for Sports & Youth Welfare.

Medical & Health

- Provision of ₹ 1008.24 crores for Medical & Health Sector including Ayurved.
- Provision of ₹ 168.50 crores for National Rural Health Mission (NRHM) including ₹ 18.50 crores for Mukhya Mantri Jeevan Raksha Kosh Yojana and ₹ 30 crores for Dhanvantari Ambulance Service Yojana.

- Provision of ₹ 571.06 crores for Medical & Health Department including ₹ 350.09 crores for Nisulk Drug Distribution System.
- Provision of ₹ 205.37 crores for Medical Education including ₹ 200 lakhs for Raj. Health Science University.
- Provision of ₹ 40.66 crores for Ayurved.
 - Opening of 10 Ayurvedic Dispensaries
 - Upgradation of 5 B-Class Dispensaries into A-Class Dispensaries

PHED

- Provision of ₹ 1395.50 crores for Water Supply Schemes
 - ₹ 626.50 crores for Urban Water Supply Schemes
 - ₹ 767.98 crores for Rural Water Supply Schemes
 - ₹ 1.03 crores for Training Institute for Engineering Subordinates.
- Above provision also includes ₹ 241.12 crores for Externally Aided Projects
 - ₹ 20.12 crores for Bisalpur-Jaipur Water Supply Project
 - ₹ 110 crores for reorganization of Urban Water Supply, Jodhpur
 - ₹ 46 crores for Aapni Yojana Phase-II.
 - ₹ 40 crores for Chambal-Bhilwara Drinking Water Supply Project
 - ₹ 25 crores for Nagaur Lift Canal Drinking Water Supply Project Phase-II
- Target to cover 6000 slipped back NC/PC habitations.

Housing & Urban Development

- Provision of ₹ 3489.79 crores for Housing & Urban Development.
- Provision includes IEBR of ₹ 1673.13 crores
 - ₹ 300 crores of Rajasthan Housing Board.
 - ₹ 360 crores of Jaipur Development Authority.
 - ₹ 1013.13 crores of Other Urban Local Bodies.
- Provision of ₹ 271.99 crores for Externally Aided Rajasthan Urban Sector Development Investment Programme
- Provision of ₹ 100.00 crores for payment of installment to HUDCO for Police Housing.
- Provision of ₹ 168.86 crores for JNNURM.

- Provision of ₹ 69.96 crores for Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP).
- Provision of ₹ 73.66 crores for Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT).
- Provision of ₹ 400.00 crores for Jaipur Metro Rail Corporation Ltd.
- Provision of ₹ 45 crores for contribution to Rajasthan Urban Development Fund.
- Provision of ₹ 150.70 crores as grants to ULBs under SFC.
- Provision of ₹ 55 crores for Railways Over Bridges (ROBs).
- Provision of ₹ 10 crores Sahari Jan Sabhagita Yojana.
- Provision of ₹ 7.89 crores as State Matching Share for Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)
 - Target to benefit 10000 persons of BPL families under urban self-employment
 - Target to trained 15000 persons of BPL families under urban self-employment
 - Creation of 2.00 lakh mandays.
- Construction of 7000 houses in urban areas by Rajasthan Housing Board.

Welfare of Backward Classes & Social Welfare

- Provision of ₹ 814.36 crores for welfare of SC/ST/Other Backward Classes and Social Welfare.
- Provision includes ₹ 204.66 crores for Post-Matric Scholarship to SC/ST/OBC Students.
 - Target to benefit 567000 students
- Provision of ₹ 14.50 crores for construction of various Hostel Buildings.
- Provision of ₹ 8.00 crores to provide infrastructure facilities in 80 Sambal Villages.
- Provision of ₹ 2.30 crores for Protection of Civil Rights to SCs/STs.
- Provision of ₹ 1 crore as matching assistance to RSCSTFDCC.
- Provision of ₹ 46.45 crores for Palanhar Yojana for providing care to destitute children and two children of widow pensioners through close relatives.

- Provision of ₹ 3.00 crores for “Anupriti Scheme” to provide financial assistance to SC/ST students for the preparation of various exams.
- Provision of ₹ 17.02 crores for Sahayog Scheme to provide financial assistance ₹ 10000 to BPL families for daughter marriage.
- Provision of ₹ 136.61 crores for Devnarayan Yojana.
- Provision of ₹ 171.78 crores for Old-age Pension under NSAP.
 - To provide old-age pension to 6.41 lakh persons
- Provision of ₹ 23.40 crores for Jan Shree Bima Yojana under NSAP.
 - Life insurance coverage to 26.22 lakh BPL families
- Provision of ₹ 23.68 crores for Indira Gandhi Rastriya Widow Pension Yojana under NSAP.
- Provision of ₹ 4.19 crores for Indira Gandhi Rastriya Disability Pension Yojana under NSAP.
- Provision of ₹ 40.54 crores for education and welfare of Handicapped Persons
 - Organisation of 1500 Polio Correction Camps
 - Prosthetic Aid to 1500 persons
 - Handicapped Scholarship to 8000 persons
 - Assistance to 300 disabled persons for self-employment & training.
- Provision of ₹ 24.26 crores for Child Welfare.
- Provision of ₹ 2.43 crores for Women Welfare.
- Provision of ₹ 2.70 crores for establishment of Old Age Homes.

Directorate of Disability

- Provision of ₹ 1.31 crores for Establishment of Directorate of Disability.

Tribal Area Development

- Provision of ₹ 71.37 crores as Special Central Assistance (SCA).
- Provision of ₹ 99.73 crores as ACA under Article 275(1) of the Constitution.
- Provision of ₹ 154.22 crores as untied grant under the "Janjati Kalyan Nidhi" for the development of tribal areas.

Women and Children Development

- Provision of ₹ 55.21 crores for Women Development programme
 - Payment of Honorarium to Sathins
 - For imparting training in managerial capacity building and income generation activities.
 - For providing grant for Community Marriages.
 - For providing assistance to Women SHGs as incentive in rate of interest for timely repayment of loan.
- Provision of ₹ 594.88 crores for Nutrition
 - To benefit 56.00 lacs children and women through Supplementary Nutrition.
 - For payment of Honorarium to Asha Sahyoginis.
 - For payment of Honorarium to anganwari workers and helpers.
 - For administration and training under ICDS.
 - For construction of 1100 AWCs Buildings.

Minority Development

- Provision of ₹ 10.95 crore for Madarsa Board.
- Provision of ₹ 25.57 crore for Madarsa Schools.
- Provision of ₹ 6.55 crore for Hostel Building for Minorities.
- Provision of ₹ 3.80 crore for Employment scheme for Minority Boys and Girls.
- Provision of ₹ 2.00 crore for State Technical Scholarship Scheme for Minority Candidates.
- Provision of ₹ 1.75 crore for Haz Committee for Construction of Haz House.

X. Economic Services

- Provision of ₹ 34.50 crores for Tourism Department
- Provision of ₹ 201 crores for Rajasthan Rural Livelihood Project (RRLP).
- Provision of ₹ 98.38 crores for Information & Technology including funds for National e-Governance Plan (NeGP) and incentive for issuing Unique Identification (UIDs).
- Provision of ₹ 143.50 crores for Food & Civil Supply which includes ₹ 7 crores for Annapurna Yojana and ₹ 0.50 crores for Ration Ticket Scheme.

- Provision of ₹ 13.11 crores for Civil Aviation.
- Provision of ₹ 53.82 crores for State Planning Board.
- Provision of ₹ 5.80 crores for D.O.P. Secretariat for various construction works.

XI. General Services

- Provision of ₹ 188.32 crores for construction of various State and District level buildings.
 - ₹ 45.00 crores for Jail Buildings,
 - ₹ 75.00 crores for Police Buildings,
 - ₹ 40.74 crores for New High Court Building at Jodhpur and other Judicial Buildings,
 - ₹ 7.61 crores for GAD Buildings,
 - ₹ 5.60 crores for Devsthan.
 - ₹ 5.00 crores for Excise Department.
 - ₹ 2.20 crores for Civil Defence & Home Guards.
 - ₹ 5.17 crores for Treasuries & Accounts.
 - ₹ 2.00 crores for Stamp & Registration.
- Provision of ₹ 100 crore for grant under Rajasthan Investment Promotion Policy-2003.
- Provision of ₹ 12.32 crores to meet the committed liability of 45 fast track courts.
- Provision of ₹ 3.00 crores to meet the running expenditure of Judicial Academy.